

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON WEDNESDAY, THE 31ST AUGUST, 2016 AT 10.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. MOTION UNDER RULE 15.

A MINISTER

to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

III. MOTION UNDER RULE 16.

A MINISTER

to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

IV. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1.	A MINISTER	to lay on the Table the 47 th Annual Report of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2013-14, as required under section 619/A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
2.	A MINISTER	to lay on the Table Annual Financial Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2014-15, as required under section 619/A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
3.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) for the year 2014-15 of the Government of Haryana, in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

V. LEGISLATIVE BUSINESS.

1. **The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2016.**

A MINISTER

to introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill;

to move that the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

2. **The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2016.**

A MINISTER

to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill;

to move that the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

-2-

3. **The Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2016.**

A MINISTER

to introduce the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill;

to move that the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

4. **University of Health Sciences, Karnal Bill, 2016.**

A MINISTER

to introduce the University of Health Sciences, Karnal Bill;

to move that the University of Health Sciences, Karnal Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

5. **The Haryana Tax on Luxuries (Amendment) Bill, 2016.**

A MINISTER

to introduce the Haryana Tax on Luxuries (Amendment) Bill;

to move that the Haryana Tax on Luxuries (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

**CHANDIGARH:
THE 30TH AUGUST, 2016.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 31 अगस्त, 2016 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम " सभा की बैठकें " के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

IV. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

1. **एक मंत्री** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619/क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
2. **एक मंत्री** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619/क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014-2015 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
3. **वित्त मंत्री** भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2014-2015 के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

V. विधान कार्य

1. हरियाणा विधान सभा **एक मंत्री** हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2016. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016. **एक मंत्री** हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

3. हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2016. **एक मंत्री** हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक, 2016. **एक मंत्री** स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
5. हरियाणा सुख-साधन कर (संशोधन) विधेयक, 2016. **एक मंत्री** हरियाणा सुख-साधन कर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा सुख-साधन कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चंडीगढ़ :
30 अगस्त, 2016.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।